दिशा–निर्देश/ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः प0क0–13/सं0नि0न0/प्रशि0नग0/166/2018–19/ 3413-75 लखनऊः दिनांकः 03 अक्टूबर 2018

विषयः– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण हेतु राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरानगर लखनऊ में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी0ओ0टी0) दिनांक 17 सितम्बर 2018 से 10 अक्टूबर 2018 के मध्य पांच बैचों में कराया जा रहा है। टी0ओ0टी0 के उपरान्त चिन्हित 25 जनपदों/प्रशिक्षण केन्द्रों में एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत कार्यरत ए0एन0एम0 को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिस हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण हेतु संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही से मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

पृ0प0संख्या– प0क0–13/सं0नि0न0/प्रशि0नग0/166/2018–19/ तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
4– अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
5– समस्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष ,जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7– महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8– समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
9– समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थकन्सल्टेंट, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
10– समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 05 दिवसीय ए0एन0एम0 प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक ए0एन0एम0 का 05 दिवसीय आवसीय प्रशिक्षण 25 चिन्हित प्रशिक्षण केन्द्रों (आगरा, मथुरा, अलीगढ, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, बांदा, फैजाबाद, गोण्डा, आजमगढ, गोरखपुर, कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, लखनऊ, सीतापुर, गाजियाबाद, जी0बी0 नगर, मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुज्जफरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, मिर्जापुर एवं वाराणसी) में कराया जाना है। जनपद वार पूर्ण विवरण सी0टी0पी0 में अंकित है (संलग्न)।

प्रशिक्षण स्थलों का चयन

चिन्हित जनपद में ए0एन0एम0 का प्रशिक्षण शीघ्र ही आयोजित किया जाना है जो कि आर0एफ0पी0टी0सी0/ए0एन0एम0टी0सी0/डी0पी0टी0टी0/अन्य प्रशिक्षण स्थल (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चयनित जहां आवासीय प्रशिक्षण सम्बंधी समस्त व्यवस्थाएं उपलब्ध हो) पर किया जायेगा।

- प्रशिक्षण स्थल का चयन करते समय यह अवश्य ध्यान रखना है कि प्रशिक्षण पूर्णतया आवासीय होगा। अतः यहां ठहरने की, साफ सफाई, सुरक्षा, भोजन, पीने के पानी, बिजली/जनरेटर आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।
- प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए ऐसे कक्ष की व्यवस्था की जाए जहां प्रतिभागियों तथा प्रशिक्षकों के बैठने की समुचित व्यवस्था एवं स्थान हो जिसमें अभ्यास सत्र एवं ग्रुप वर्क कराया जा सके।

प्रशिक्षकों का चयन

- जनपद स्तर पर ए0एन0एम0 को प्रशिक्षित करने का कार्य केवल राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में ए0एन0एम0 प्रशिक्षको का प्रशिक्षण (टी0ओ0टी0) प्राप्त प्रशिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा।
- प्रत्येक बैच में कम से कम 3 व अधिकतम 4 प्रशिक्षकों की टीम द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित रहना तथा सक्रिय सहभागिता देना आवश्यक है किसी भी दशा में ऐसे प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान न किया जाए जिन्होने संस्थान में 03 दिवसीय टी0ओ0टी0 प्राप्त न किया हो।

प्रतिभागियों का चयन

- केवल मुख्य चिकित्साधिकरी द्वारा अनुमोदित एवं सी0टी0पी0 में अंकित संख्या के अनुसार प्रत्येक ए0एन0एम0 का प्रशिक्षण सुनिशिचित किया जाय। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बंधित जनपदों के प्रशिक्षण प्रभारी/नोडल अधिकारी अरबन जिम्मेदार होगें।
- प्रत्येक प्रशिक्षण बैच 30 प्रतिभागियों हेतु निर्धारित है। ए0एन0एम0 के नामांकन हेतु सम्बंधित जनपदों से ससमय पत्राचार करें एवं निर्धारित संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करें। विशेष परिस्थितयों में भी 01 बैच में प्रतिभागियों की संख्या 20 से कम न हो।

प्रशिक्षण का संचालन एवं प्रशिक्षण कैलेण्डर

- ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र वाले जनपद के नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0, प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर होगें। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण संचालन, समन्वय व आवश्यक रिर्पोटिंग आदि हेतु प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर/नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 की जिम्मेदारी होगी। इनका यह दायित्व होगा कि प्रशिक्षण केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदों से समन्वय करते हुए प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करेगें तथा प्रशिक्षण कैलेण्डर की प्रति एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करेगें। किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण कैलेण्डर प्रेषित किये बिना प्रशिक्षण प्रारम्भ न किये जाये। इस कार्य में अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- प्रशिक्षण हेतु विभिन्न जनपदों की ए0एन0एम0 को किस क्रम में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना है, इसका निर्धारण प्रशिक्षण केन्द्र के नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 सम्बंधित जनपदों के नोडल अधिकारी से समन्वय करते हुए करेगें।
- प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये किया जाये। सत्र योजना, समय योजना, सत्रों की विषय वस्तु तथा प्रशिक्षण पद्धति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण में वितरित किये जाने हेतु मॉड्यूल हेतु सामग्री एस0पी0एम0यू0 द्वारा जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी मुद्रण/फोटोकॉपी प्रशिक्षण केन्द्र वाले जनपद द्वारा करायी जायेगी।
- प्रशिक्षक द्वारा वार्ताकक्ष में सत्रों के साथ साथ अभ्यास सत्र तथा समूह कार्य भी आवश्यकतानुसार आयोजित किये जायेगें।

- प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों का नामांकन, उनके द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का ही चयन करना तथा प्रशिक्षण में उनका योगदान सुनिश्चित कराना **मुख्य चिकित्साधिकारी / नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।**
- राज्य स्तर से उपलब्ध करायी गयी कार्यक्रम सारणी के आधार पर प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र की कार्यक्रम सारणी तैयार करायें जिसमें वार्ताकारों के नाम अंकित हों तथा प्रशिक्षण कोआर्डिनेटर के भी हस्ताक्षर हो।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों का क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाना है।
- प्रशिक्षण पश्चात प्रतिभागियों का पोस्ट टेस्ट मूल्याकंन भी कराया जाय।
- प्रशिक्षकों को उनके द्वारा लिये जाने वाले सत्रों / विषयों के बारे में पूर्व से अवगत करा दिया जाये, जिससे कि उनके द्वारा सत्रों से सम्बन्धित विषय वस्तु को पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण / चार्ट पेपर पर समय से तैयार कर प्रस्तुतिकरण किया जाये। बिना पूर्व निर्मित प्वाइंट प्रस्तुतीकरण / चार्ट पेपर के प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न न कराया जाये।
- 05 दिवसीय ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण के आयोजन के साथ किसी अन्य प्रशिक्षण / गतिविधि / कार्यक्रम को नहीं जोड़ा जाए।

प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था

- प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में चार्ट, मार्कर पेन, ब्लैक / व्हाईट बोर्ड, चार्ट स्टैण्ड आदि प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही प्रतिभागियों को पेन, पैड, फोल्डर तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जानी है। प्रशिक्षण बैच हेतु बैनर, फोटोग्राफी तथा पी0ओ0एल0 आदि की व्यवस्था करायी जानी है।

वित्तीय मानक एवं दिशा निर्देश

- प्रशिक्षण हेतु धनराशि का आवटंन एन0यू0एच0एम फ्लैक्सीपूल के OLD FMR code P.3.2.1 (New FMR Code U.9.5.1) - Training/orientation of ANM and paramedical staff में किया गया है। प्रशिक्षण उपरान्त होने वाले व्यय का भुगतान करते हुए इसी FMR Code में अंकित करते हुए राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाये।
- व्यय के मानक (अधिकतम) नीचे दर्शाये जा रहे है जो वास्तविक व्यय के आधार पर मान्य होगें। व्यय का आंकलन वास्तविक संख्या के अनुसार ही किया जाए ।

5 days Training of ANM at Distict Level

Cost calculation per batch (for a batch of 30 Participant)

Sl.No.	Activities	Rate in Rs.	No of part.	Days	Total
a	Perdiem to participants	300	30	5	45000
b	Honorarium to Trainers	600	5	5	15000
c	Mess Fooding Participants & trainer	250	35	5	43750
d	Incidental expenses/Contingency etc.	200	30		6000
	Total (a+b+c+d)				109750
e	Institutional overheads 10%				10975
f	TA to participants (as per Govt. Rule)/Out side Facilitator	600	30	1	18000
g	Cost of one Batch Total				**138725**

भोजन एवं अन्य व्यवस्थाएं

- प्रशिक्षण कक्ष में साफ सफाई, बैठने, पीने के पानी की उचित व्यवस्था तथा भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लिए सुबह का चाय–नाश्ता, दोपहर व रात्रि के भोजन में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, मिठाई आदि गुणवत्ता पूर्ण व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा प्रशिक्षण के दौरान दो बार चाय–स्नैक्स की व्यवस्था की जानी है। प्रशिक्षकों की चाय, भोजन आदि हेतु भी बजट में व्यवस्था की गयी है।

- प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के अन्त में उपरोक्त तालिका के अनुसार परडियम तथा नियमानुसार यात्रा भत्ता (वास्तविक व्यय के अनुसार) का भुगतान किया जायेगा।
- प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान ऊपर तालिका में दी गयी दर से किया जायेगा।
- एन0जी0ओ0 प्रशिक्षकों को यात्रा भत्ता वास्तविक आधार पर अनुसार अनुमन्य होगा।
- विभिन्न मदों पर व्यय प्रतिभागियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित बजट सीमा के अंदर ही करना होगा।
- वित्तीय मानकों में किसी प्रकार के परिवर्तन न किये जाये।
- सभी बिल बाउचर, प्रशिक्षण की फोटोग्राफ, प्रतिभागियों की सूची (नाम, पदनाम, तैनाती स्थान एवं मोबाइल नम्बर सहित) रिसोर्स पर्सन्स की सूची नाम, पता, उनको दिया गया मानदेय आदि सहित समस्त अभिलेख प्रशिक्षण केन्द्र वाले जनपद पर भविष्य में आडिट आदि के लिए सुरक्षित रखे जायेगें। प्रतिभागियों को वितरित की गयी सामग्री का विवरण भी उपलब्ध रखना होगा।

कंटीजेन्सी व्यय के मानक

- कटींजेन्सी के लिए प्रति प्रतिभागी की दर से प्राविधान किया गया है। कटींजेन्सी हेतु प्राविधानित धनराशि वास्तविक व्यय के आधार पर ही अनुमन्य होगी। इस राशि का उपयोग प्रतिभागियों में वितरित करने हेतु स्टेशनरी (पेन, पैड, फोल्डर ,चार्ट पेपर, मार्कर पेन, सर्टीफिकेट) फोटो कापी, फोटोग्राफी, तथा बैनर आदि की व्यवस्था हेतु धनराशि बजट में प्राविधानित है।

I.O.H. व्यय के मानक

- आई0ओ0एच0 हेतु प्राविधानित धनराशि का उपयोग प्रशिक्षण कक्ष, छात्रावास, मेस में जलापूर्ति, विद्युत, फर्नीचर, प्रशिक्षण उपकरणों की मरम्मत तथा अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने तथा संचार सुविधाओं व सूचनाओं के प्रेषण के लिए किया जा सकता है।

प्रशिक्षण सत्रों का अनुश्रवण

- जनपद स्तरीय प्रशिक्षणों का अनुश्रवण राज्य तथा जनपद स्तर से किया जायेगा। जनपद स्तर से नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 प्रशिक्षण का अनुश्रवण करेगें।

रिपोर्टिंग एवं डाक्यूमेन्टेसन

- जनपद स्तर के प्रशिक्षणों की रिपोर्टिंग–प्रतिभागियों की सूची सहित जिसमें नाम, पद व मोबाइल नं0 आदि अंकित हो, नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 द्वारा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रशिक्षण समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर की जानी है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रशिक्षण रिपोर्ट प्रशिक्षण समाप्ति के 10 दिन के अन्दर एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करेगें।
- प्रशिक्षण केन्द्र वाले जनपद के अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर प्रशिक्षण की अद्यतन सूचना प्रत्येक माह की 1 तथा 15 तारीखों पर एस0पी0एम0यू0 तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण को प्रेषित करेगे।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आब्जर्वर से प्राप्त प्रशिक्षण आख्या पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।
- अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर द्वारा उक्त प्रशिक्षण से संबंधित समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।
- प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यय विवरण सभी बिल वाउचर सहित, प्रतिभागियों की सूची (नाम, पदनाम, तैनाती स्थान एवं मोबाइल नं0 सहित) प्रशिक्षकों की सूची नाम, पता, उनको दिया गया मानदेय, पोस्ट टेस्ट की प्रतियों को मूल्यांकन कर सुरक्षित रखा जाये। साथ ही कोर्स इवैल्यूवेशन, एजेण्डा, उपस्थिति पंजिका, प्रशिक्षण में वितरित की गयी सामग्री का विवरण, मॉनीटरिंग रिपोर्ट (यदि मॉनीटरिंग विजिट हुयी हो) प्रशिक्षण की फोटोग्राफ आदि सहित जनपद स्तर पर भविष्य में ऑडिट आदि के लिए सुरक्षित रखे जायेगें।
- प्रशिक्षण उपरान्त होने वाले व्यय का भुगतान OLD FMR code P.3.2.1 (New FMR Code U.9.5.1) - Training/ orientation of ANM and paramedical staff में अंकित करते हुए राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाये इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर एवं डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट का होगा।
- चूंकि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके जनपद में पूर्व से आयोजित किये जाते रहे हैं। अतः आशा है कि आपको इस कार्यक्रम के सफल संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा।

Details for ANM Training under NUHM

S.No.	Place of Training	No of Trainees	No of Batch	Per Batch @ Rs. 138725/-
901	Agra	170	6	832,350.00
902	Aligarh	104	3	416,175.00
903	Allahabad	146	5	693,625.00
908	Azamgarh	50	2	277,450.00
913	Banda	38	1	138,725.00
915	Bareilly	193	6	832,350.00
917	Bijnor	55	2	277,450.00
919	Buladshahr	82	3	416,175.00
925	Faizabad	60	2	277,450.00
926	Farrukhabad	72	2	277,450.00
929	G B Nagar	82	3	416,175.00
930	Ghaziabad	250	8	1,109,800.00
932	Gonda	35	1	138,725.00
933	Gorkhapur	115	4	554,900.00
940	Jhansi	102	3	416,175.00
943	Kanpur Nagar	265	9	1,248,525.00
949	Lucknow	350	12	1,664,700.00
953	Mathura	136	5	693,625.00
955	Meerut	155	5	693,625.00
956	Mirzapur	28	1	138,725.00
957	Moradabad	183	6	832,350.00
958	Muzaffarnagar	67	2	277,450.00
963	Saharanpur	88	3	416,175.00
971	Sitapur	52	2	277,450.00
975	Varanasi	167	6	832,350.00
TOTAL	**25**	**3045**	**102**	**14,149,950.00**

Details for ANM Training under NUHM

S.No.	Name of Districts	District wise ANM Details	Place of Training	No of Trainees	No of Batch	No of Trainers
1	Agra	156	Agra	170	6	5
2	Mainpuri	14				
6	Etah	10	Mathura	136	5	5
7	Kasganj	9				
4	Firozabad	72				
3	Mathura	45				
5	Aligarh	92	Aligarh	104	3	5
8	Hathras	12				
9	Fatehpur	17	Allahabad	146	5	5
10	Allahabad	121				
11	Pratapgarh	6				
12	Kaushambi	2				
13	Shahjahanpur	42	Bareilly	193	6	5
14	Bareilly	106				
15	Budaun	27				
16	Pilibhit	18				
17	Jalaun	32	Jhansi	102	3	5
18	Jhansi	58				
19	Lalitpur	12				
20	Hamirpur	9	Banda	38	1	5
21	Mahoba	9				
22	Banda	15				
23	Chitrakoot	5				
24	Sultanpur	10	Faizabad	60	2	5
25	Ambedkarnagar	20				
26	Faizabad	22				
27	Barabanki	7				
28	Amethi	1				
29	Gonda	11	Gonda	35	1	5
30	Bahraich	16				
31	Balrampur	7				
32	Sharawasti	1				
33	Ballia	9	Azamgarh	50	2	5
34	Azamgarh	17				
35	Mau	24				
36	Gorakhpur	77	Gorkhapur	115	4	5
37	Deoria	13				
38	Kushinagar	4				
39	Maharajganj	3				
40	Basti	11				
41	Sidharthnagar	2				
42	Sant Kabir Nagar	5				

S.No.	Name of Districts	District wise ANM Details	Place of Training	No of Trainees	No of Batch	No of Trainers
43	Kanpur Nagar	263	Kanpur Nagar	265	9	10
44	Kanpur Dehat	2				
45	Kannauj	14	Farrukhabad	72	2	5
46	Etawah	26				
47	Auraiya	7				
48	Farrukhabad	25				
49	Lucknow	281	Lucknow	350	12	10
54	Unnao	23				
52	Rae Bareli	16				
51	Hardoi	30				
53	Sitapur	32	Sitapur	52	2	5
50	Kheri	20				
55	Ghaziabad	250	Ghaziabad	250	8	10
56	GB Nagar	82	G B Nagar	82	3	5
57	Meerut	141	Meerut	155	5	5
58	Baghpat	14				
59	Bulandshahar	53	Buladshahr	82	3	5
60	Hapur	29				
61	Saharanpur	88	Saharanpur	88	3	5
62	Muzaffarnagar	51	Muzaffarnagar	67	2	5
63	Shamli	16				
64	Bijnor	55	Bijnor	55	2	5
65	Moradabad	97	Moradabad	183	6	5
66	Rampur	30				
67	J.P Nagar	28				
68	Sambhal	28				
69	Mirzapur	20	Mirzapur	28	1	5
70	Bhadohi (NPP)	8				
71	Sonabhadra	3	Varanasi	167	6	5
72	Varanasi	125				
73	Chandauli	11				
74	Ghazipur	12				
75	Jaunpur	16				
TOTAL		**3045**	**25**	**3045**	**102**	**140**